

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 74
TO BE ANSWERED ON 25.11.2024**

EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME

74. DR. KALANIDHI VEERASWAMY:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) the details of the current statistics on the number of workers enrolled under the Employees' State Insurance (ESI) Scheme across the country including Tamil Nadu, State/sector-wise;**
- (b) the measures that are being taken to increase awareness and enrollment among workers in informal sectors, particularly in rural and semi-urban areas, who may be eligible for the ESI Scheme but remain uninsured;**
- (c) the manner in which the Government assess effectiveness of ESI Scheme in providing healthcare and social security benefits to enrolled workers and the details of improvements that have been made based on this assessment;**
- (d) whether there are specific initiatives in place to enhance the quality of healthcare services provided under the ESI Scheme, particularly in terms of accessibility and response times and if so, the details thereof; and**
- (e) the steps being taken by the Government to address issues related to delays in claims processing and service delivery for workers enrolled under the ESI Scheme?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)**

(a): The details of employees enrolled under Employees' State Insurance (ESI) Scheme as on 31.3.2024 in the country including Tamil Nadu is annexed.

Contd..2/-

(b): ESI Act is applicable to factories and establishments employing 10 or more persons (including factories belonging to the Govt.) other than seasonal factories and drawing wages up to Rs 21,000/- per month (Rs. 25,000/- per month in case of persons with disability) in the notified area. As such, the Act does not apply to the Informal Sectors (unorganized sector). ESIC carries out public awareness about ESI Scheme benefits through its website and various social media handles.

(c) to (e): ESIC has formulated Common Support Mission to review the ESIS medical infrastructure and identify the gap areas for improvement and upgradation of ESIS medical infrastructure. The Medical Commissioners, Zonal Officers visit regularly to the ESI Health facilities to assess effectiveness and suggest remedial measures. Besides, effectiveness is also assessed through regular meetings in the headquarter. Further, ESIC has designed the Service Level to ensure high standards of patient care, safety and service delivery.

ESIC has been regularly monitoring timely settlement of medical reimbursement claim bills of Insured Persons. Field offices have been instructed to settle the medical re-imbusement claim within 30 days from the receipt of the bill.

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 74 FOR 25.11.2024 BY DR. KALANIDHI VEERASWAMY REGARDING EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME.

| S.No. | State | Employees |
|-------|----------------------|-----------|
| | ANDHRA PRADESH | |
| 1 | I)VIJAYAWADA | 594990 |
| 2 | II)TIRUPATHI | 270400 |
| 3 | iii)VISAKHAPATNAM | 341380 |
| | NORTH-EAST REGION | |
| 4 | ASSAM | 292640 |
| 5 | ARUNACHAL PRADESH | 1700 |
| 6 | MEGHALAYA | 14360 |
| 7 | NAGALAND | 4500 |
| 8 | TRIPURA | 18380 |
| 9 | MANIPUR | 4300 |
| 10 | MIZORAM | 2550 |
| 11 | BIHAR | 418110 |
| 12 | CHANDIGARH(UT) | 124700 |
| 13 | CHATTISGARH | 525460 |
| | DELHI | |
| 14 | I) RAJENDER PLACE | 294560 |
| 15 | ii)NAND NAGARI | 157820 |
| 16 | iii) ROHINI | 219520 |
| 17 | iv) OKHLA | 511700 |
| 18 | GOA | 174170 |
| | GUJARAT | |
| 19 | i) AHMEDABAD | 750680 |
| 20 | ii) VADODRA | 423870 |
| 21 | iii) SURAT | 451780 |
| | HARYANA | |
| 22 | I) FARIDABAD | 888450 |
| 23 | II)GURGOAN | 1067750 |
| 24 | iii) KARNAL | 288850 |
| 25 | HIMACHAL PRADESH | 345100 |
| 26 | JAMMU & KASHMIR | 126580 |
| 27 | JHARKHAND | 487560 |
| | KARNATAKA | |
| 28 | i) BANGALORE | 867770 |
| 29 | ii) HUBLI | 355490 |
| 30 | III)PEENYA | 452430 |
| 31 | IV)BOMASUNDRA | 594510 |
| 32 | V) GULBARGA | 183620 |
| 33 | VI) MYSORE | 245880 |
| 34 | vii) MANGALORE | 185780 |
| | KERALA | |
| 35 | I)THRISSUR | 146310 |
| 36 | II)ERNAKULAM | 359010 |
| 37 | III)KOLLAM | 124400 |
| 38 | IV) KOZHIKODE | 157170 |
| 39 | v) THIRUNANTHANPURAM | 118750 |
| | MADHYA PRADESH | |

| | | |
|----|---------------------------|----------|
| 40 | i) INDORE | 639480 |
| 41 | ii) BHOPAL | 441570 |
| | MAHARASHTRA | |
| 42 | i) LOWER PAREL | 427840 |
| 43 | ii) MAROL | 659790 |
| 44 | iii) THANE | 676540 |
| 45 | iv) NAGPUR | 361730 |
| 46 | V) AURANGABAD | 284160 |
| 47 | v) PUNE | 1327730 |
| 48 | VI) NASIK | 247920 |
| | ODISHA | |
| 49 | i) BHUBANESHWAR | 695000 |
| 50 | ii) JHARSUGUDA | 217020 |
| 51 | PUDUCHERRY & MAHE & YENAM | 101180 |
| | PUNJAB | |
| 52 | I) CHANDIGARH (PUNJAB) | 474100 |
| 53 | II) JALANDHAR | 305400 |
| 54 | III) LUDHIANA | 393020 |
| | RAJASTHAN | |
| 55 | I) JAIPUR | 686090 |
| 56 | ii) UDAIPUR | 223500 |
| 57 | III) JODHPUR | 196150 |
| 58 | iv) ALWAR | 282690 |
| 59 | SIKKIM | 25970 |
| | TAMIL NADU | |
| 60 | i) CHENNAI | 1709800 |
| 61 | ii) AN ISLANDS | 5010 |
| 62 | iii) TRIRUNELVELLI | 196440 |
| 63 | iv) SALEM | 525830 |
| 64 | v) COIMBATORE | 781290 |
| 65 | vi) MADURAI | 437820 |
| 66 | TELANGANA | 1553610 |
| | UTTAR PRADESH | |
| 67 | I) KANPUR | 507350 |
| 68 | ii) VARANASI | 145960 |
| 69 | III) NOIDA | 1257530 |
| 70 | IV) LUCKNOW | 602550 |
| 71 | UTTRAKHAND | 583850 |
| | WEST BENGAL | |
| 72 | i) KOLKATA | 1320800 |
| 73 | ii) BARRACKPORE | 304290 |
| 74 | III) DURGAPUR | 295130 |
| | ALL INDIA | 31487120 |

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 74
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

74. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु सहित देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत नामांकित श्रमिकों की संख्या के बारे में राज्य/क्षेत्र-वार वर्तमान आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) अनौपचारिक क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कामगारों, जो ईएसआई योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन बीमाकृत नहीं हैं, के बीच जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (ग) सरकार नामांकित श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने में ईएसआई योजना की प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार करती है और इस आकलन के आधार पर किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं विशेष रूप से पहुंच और प्रतिक्रिया समय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) ईएसआई योजना के तहत नामांकित श्रमिकों के लिए दावा प्रक्रिया और सेवा परिदान में देरी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत नामांकित कर्मचारियों का विवरण संलग्न है।

(ख): ईएसआई अधिनियम उन कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो मौसमी कारखानों को छोड़कर 10 या अधिक व्यक्तियों (सरकारी कारखानों सहित) को रोजगार मुहैया कराते हैं और अधिसूचित क्षेत्र में 21,000 रुपये प्रति माह (निःशक्त व्यक्तियों के मामले में 25,000 रुपये प्रति माह) तक वेतन प्राप्त करते हैं। अतः यह अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्रों (असंगठित क्षेत्र) पर लागू नहीं होता है। ईएसआईसी अपनी वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ईएसआई योजना के लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाता है।

(ग) से (ड): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईएस चिकित्सा अवसंरचना की समीक्षा करने और इसकी चिकित्सा अवसंरचना में सुधार और उन्नयन हेतु अंतराल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कॉमन सपोर्ट मिशन तैयार किया है। चिकित्सा आयुक्त, जोनल ऑफिसर इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और निदानात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का नियमित दौरा करते हैं। इसके अलावा, मुख्यालय में नियमित बैठकों के माध्यम से भी प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। साथ में, ईएसआईसी ने रोगी देखभाल, सुरक्षा और सेवा देने हेतु उच्च मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेवा स्तर तैयार किया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमित व्यक्तियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के दावों के समय पर निपटान हेतु नियमित निगरानी कर रहा है। फील्ड कार्यालयों को बिल प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का निपटान करने का निर्देश दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 74 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

| क्र .सं. | राज्य | कर्मचारी |
|----------|---------------------|----------|
| | आंध्र प्रदेश | |
| 1 | I) विजयवाड़ा | 594990 |
| 2 | II) तिरुपति | 270400 |
| 3 | iii) विशाखापट्टनम | 341380 |
| | उत्तर-पूर्व क्षेत्र | |
| 4 | असम | 292640 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश | 1700 |
| 6 | मेघालय | 14360 |
| 7 | नागालैंड | 4500 |
| 8 | त्रिपुरा | 18380 |
| 9 | मणिपुर | 4300 |
| 10 | मिजोरम | 2550 |
| 11 | बिहार | 418110 |
| 12 | चंडीगढ़ (यूटी) | 124700 |
| 13 | छत्तीसगढ़ | 525460 |
| | दिल्ली | |
| 14 | I) राजेंद्र प्लेस | 294560 |
| 15 | ii) नंद नगरी | 157820 |
| 16 | iii) रोहिणी | 219520 |
| 17 | iv) ओखला | 511700 |
| 18 | गोवा | 174170 |
| | गुजरात | |
| 19 | i) अहमदाबाद | 750680 |
| 20 | ii) वडोदरा | 423870 |
| 21 | iii) सूरत | 451780 |
| | हरियाणा | |
| 22 | I) फरीदाबाद | 888450 |
| 23 | II) गुड़गांव | 1067750 |
| 24 | iii) करनाल | 288850 |
| 25 | हिमाचल प्रदेश | 345100 |
| 26 | जम्मू और कश्मीर | 126580 |
| 27 | झारखंड | 487560 |
| | कर्नाटक | |

| | | |
|----|-------------------------|---------|
| 28 | i) बैंगलुरु | 867770 |
| 29 | ii) हुबली | 355490 |
| 30 | III) पीनाया | 452430 |
| 31 | IV) बोमासुंदर | 594510 |
| 32 | V) गुलबर्ग | 183620 |
| 33 | VI) मैसूर | 245880 |
| 34 | viii) मंगलूर | 185780 |
| | केरल | |
| 35 | I) त्रिशूर | 146310 |
| 36 | II) एर्नाकुलम | 359010 |
| 37 | III) कोल्लम | 124400 |
| 38 | IV) कोझीकोड | 157170 |
| 39 | v) तिरुअनंतपुरम | 118750 |
| | मध्य प्रदेश | |
| 40 | i) इंदौर | 639480 |
| 41 | ii) भोपाल | 441570 |
| | महाराष्ट्र | |
| 42 | i) लोअर परेल | 427840 |
| 43 | ii) मरोल | 659790 |
| 44 | iii) थाणे | 676540 |
| 45 | iv) नागपुर | 361730 |
| 46 | V) औरंगाबाद | 284160 |
| 47 | v) पुणे | 1327730 |
| 48 | VI) नासिक | 247920 |
| | ओडिशा | |
| 49 | i) भुवनेश्वर | 695000 |
| 50 | ii) झारसुगुडा | 217020 |
| 51 | पुडुचेरी और माहे और यनम | 101180 |
| | पंजाब | |
| 52 | I) चंडीगढ़ (पंजाब) | 474100 |
| 53 | II) जालंधर | 305400 |
| 54 | III) लुधियाना | 393020 |
| | राजस्थान | |
| 55 | I) जयपुर | 686090 |
| 56 | ii) उदयपुर | 223500 |
| 57 | III) जोधपुर | 196150 |
| 58 | iv) अलवर | 282690 |
| 59 | सिक्किम | 25970 |
| | तमिलनाडु | |

| | | |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 60 | i) चेन्नई | 1709800 |
| 61 | ii) अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 5010 |
| 62 | iii) त्रिनेलवेली | 196440 |
| 63 | iv) सलेम | 525830 |
| 64 | v) कोयम्बटूर | 781290 |
| 65 | vi) मद्रै | 437820 |
| 66 | तेलंगाना | 1553610 |
| | उत्तर प्रदेश | |
| 67 | I) कानपुर | 507350 |
| 68 | ii) वाराणसी | 145960 |
| 69 | III) नोएडा | 1257530 |
| 70 | IV) लखनऊ | 602550 |
| 71 | उत्तराखंड | 583850 |
| | पश्चिम बंगाल | |
| 72 | i) कोलकाता | 1320800 |
| 73 | ii) बैरकपुर | 304290 |
| 74 | III) दुर्गापुर | 295130 |
| सम्पूर्ण भारत | | 31487120 |
